

मुफ्त कानूनी सहायता कौन ले सकता है?

वकील की फीस, कोर्ट की फीस या टाइपिंग का कोई भी खर्च **नहीं** देना है यदि आवेदक निम्नलिखित में से है:

- महिलाएँ और बच्चे
- अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) के सदस्य
- औद्योगिक मजदूर (फैक्ट्री श्रमिक)
- प्राकृतिक आपदा (सूखा, बाढ़) के शिकार
- दिव्यांगजन (Persons with disabilities)
- हिरासत या जेल में बंद व्यक्ति

कम आय वाले नागरिक:

राजस्थान का कोई भी नागरिक जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय **₹3,00,000 (तीन लाख रुपये)** से कम है, वह मुफ्त कानूनी सेवा का पूरी तरह हकदार है।

तुरंत मदद कैसे पाएं?

समस्या के बड़ा होने का इंतजार न करें। घर बैठे इन मुफ्त सुविधाओं का उपयोग करें:

टोल-फ्री हेल्पलाइन (24 घंटे खुला)

 **15100**

अपनी राजस्थानी या हिंदी भाषा में बात करके तुरंत सही कानूनी सलाह लें।

ऑनलाइन आवेदन (RSLSA और NALSA)

 **rajasthan.nalsa.gov.in**

 **www.nalsa.gov.in**

मोबाइल से सीधे या नजदीकी ई-मित्र से राज्य पोर्टल पर या राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करें।

कानूनी सलाह का मोबाइल ऐप

 **Nyaya Bandhu**

स्मार्टफोन में 'न्याय बंधु' ऐप डाउनलोड करें।

"सजग रहें, सुरक्षित रहें"

मुफ्त कानूनी सहायता

(Free Legal Aid: Your Right)

"न्याय सबके लिए - अब आपके द्वार"

सुविधा प्रदानकर्ता प्राधिकरण:

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)

एवं

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA)

जन जागरूकता अभियान संचालक



Soch Foundation
sochnetwork.in

1. दीवानी, जमीन और पारिवारिक विवाद

किन मामलों में सहायता मिलती है:

जमीन पर अवैध कब्जा, संपत्ति का विवाद, तलाक, घरेलू हिंसा और भरण-पोषण (खर्चा)।

मदद कैसे प्राप्त करें:

कदम 1:

अपनी स्थानीय तहसील के 'तालुका विधिक सेवा समिति' (TLSC) या जिला न्यायालय (कचहरी) के 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण' (DLSA) कार्यालय में जाएं।

कदम 2:

वहां के कर्मचारियों को समस्या बताएं। वे एक आसान फॉर्म देंगे। यदि आवेदक पढ़-लिख नहीं सकता, तो कर्मचारी **मुफ्त** में फॉर्म भरेंगे।

कदम 3:

केस लड़ने के लिए सरकार की ओर से एक मुफ्त वकील (पैनल लॉयर) नियुक्त कर दिया जाएगा।

2. फौजदारी (क्रिमिनल) मामले (LADCS)

'लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम' (LADCS) एक विशेष व्यवस्था है जो केवल **आपराधिक (क्रिमिनल) मामलों** में पूर्णकालिक मुफ्त वकील प्रदान करती है।

किन चरणों में सहायता मिलती है:

गिरफ्तारी से पहले सलाह, रिमांड/जमानत का प्रयास, अदालत में पूरा ट्रायल (मुकदमा), और सजा होने पर हाईकोर्ट में अपील।

मदद कैसे प्राप्त करें:

थाने में या गिरफ्तारी के समय:

पुलिस अधिकारी से स्पष्ट कहें कि "लीगल एड का वकील" चाहिए। पुलिस को कानूनी तौर पर DLSA को सूचित करना अनिवार्य है।

अदालत में:

सीधे जज या मजिस्ट्रेट से कहें, *"मेरे पास वकील करने के पैसे नहीं हैं। कृपया मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करें।"* जज तुरंत एक LADCS वकील नियुक्त कर देंगे।

यदि कोई परिजन जेल में है:

राजस्थान की हर जेल में एक 'जेल विधिक सहायता क्लिनिक' है। जेलर से बात करें, या परिजन DLSA ऑफिस जाकर जमानत के लिए मुफ्त वकील की मांग कर सकते हैं।

3. सरकारी योजनाओं का लाभ और दस्तावेज

कई बार कागजों की कमी, मनरेगा की मजदूरी रुकने या पेंशन अटकने के कारण लोग अपने सरकारी हक से वंचित रह जाते हैं।

किन मामलों में सहायता मिलती है:

वृद्धावस्था/विधवा पेंशन, राशन कार्ड, मनरेगा (MGNREGA) की मजदूरी, और आधार/जन-आधार कार्ड की गलतियां सुधारने में।

मदद कैसे प्राप्त करें:

कदम 1:

गाँव में 'पैरा-लीगल वॉलंटियर' (PLV) से संपर्क करें। ये ग्राम पंचायत कार्यालय, अटल सेवा केंद्र/राजीव गांधी सेवा केंद्र में या सरपंच के माध्यम से मिल जाएंगे।

कदम 2:

PLV दस्तावेज पूरे करवाएंगे और संबंधित सरकारी विभाग (जैसे एसडीएम या विकास अधिकारी) को **मुफ्त** में शिकायत या आवेदन लिखकर देंगे।